संख्या-12/2019/379/35-1-2019-2/1(12)/2018

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग),
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 22 मई, 2019**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के नई मांग के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड हेतु राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक : 22 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- **"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-09-बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड"** के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत **रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र)** तथा लेखाशीर्षक **"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-10-पूर्वांचल विकास बोर्ड"** के सुसंगत इकाईयो के अन्तर्गत **रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र)** अर्थात् कुल रू0 400.00 (रू0 चार करोड़ मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों का वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं;

1- बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास हेतु शासनादेश संख्या-31/2018/147 बी0पी0/35-1-2018-8/1(10)/2018, दिनांक : 28.12.2019 तथा शासनादेश संख्या:-32/2018/148बी0पी0/35-1-2018-8/1(11)/2018, दिनांक 28.12.2019 द्वारा क्रमश: बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्रश्नगत धनराशि का व्यय अनिवार्यत: इसी मद में की जाए।

2- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के **अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-09-बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड तथा लेखाशीर्षक-"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-10-पूर्वांचल विकास बोर्ड** के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-५ के अशासकीय संख्या-691/दस-ई-5-2019, दिनांक - 17 मई, 2019 पर प्राप्त सहमति एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2019/379/35-1-2019, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक (श्री अजय स्वरूप श्रीवास्तव) राज्य योजना आयोग, अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-12/2019/379/35-1-2019-2/1(12)/2018

दिनांक: 22 मई, 2019 का संलग्नक

(लाख रूपये में)

क्र0सं0	कोड नं0	मद का नाम	बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत धनराशि	पूर्वांचल विकास बोर्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत धनराशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	04	यात्रा व्यय	10.00	10.00
2.	07	मानदेय	60.00	60.00
3.	08	कार्यालय व्यय	09.00	09.00
4.	09	विद्युत देय	05.00	05.00
5.	11	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	02.00	02.00
6.	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12.00	12.00
7.	13	टेलीफोन पर व्यय	02.00	02.00
8.	15	गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	32.50	32.50
9.	16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	09.00	09.00
10.	17	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	12.00	12.00
11.	18	प्रकाशन	02.50	02.50
12.	29	अनुरक्षण	01.00	01.00
13.	22	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	15.00	15.00
14.	42	अन्य व्यय	05.00	05.00
15.	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कार्य	07.50	07.50
16.	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी आदि का क्रय	01.00	01.00
17.	55	मकान किराया भत्ता	03.50	03.50
18.	58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	11.00	11.00
योग			**200.00**	**200.00**
महायोग			**400.00**	

(रूपये चार करोड़ मात्र)

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in